संचिका संख्या–5/आर०एल०–40–141/2022 श्र०सं०–
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांकः–

विषय :– श्री शम्भूनाथ प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त (दिनांक–31.05.2022) श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की सेवानिवृत्ति के उपरान्त 300 दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की अन्तर राशि कुल रू० 45,560/– (पैंतालीस हजार पॉच सौ साठ) रुपये मात्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि पूर्व में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–6872, दिनांक–08.12.2023 द्वारा श्री शम्भूनाथ प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक–31.05.2022 को वेतन रु० 87,700/– (सतासी हजार सात सौ रूपये) मात्र एवं उस पर देय 34% की दर से रु० 29,818/– (उन्नतीस हजार आठ सौ अठारह) रूपये मात्र महँगाई भत्ता प्रतिमाह की दर से 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि कुल रु० 11,75,180/– (ग्यारह लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के वाद संख्या–सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–2115/2023 के निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–153–सह–पठित ज्ञापांक–7002, दिनांक–18.12.2024 के आलोक में निर्गत विभागीय आदेश संख्या–1072, दिनांक–27.02.2025 द्वारा प्रथम ए०सी०पी०, द्वितीय एवं तृतीय एम०ए०सी०पी० में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक–1625, दिनांक–22.10.2025 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री शम्भूनाथ प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को प्रथम ए०सी०पी०, द्वितीय एवं तृतीय एम०ए०सी०पी० में संशोधन के उपरान्त उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2022 को निर्धारित अन्तिम मूल वेतन रु० 91,100/– (इक्यानवे हजार एक सौ) रुपये मात्र एवं उस पर देय 34% की दर से रु० 30,974/– (तीस हजार नौ सौ चौहत्तर रूपये) मात्र महँगाई भत्ता प्रतिमाह की दर से 300 (तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि देय है, जिसकी गणना निम्नवत् हैः–

$$\frac{\{(\text{वेतन} + 34\%\ (\text{महँगाई भत्ता})\}}{30} \times 300 = \frac{(91{,}100 + 30{,}974)}{30} \times 300 = \frac{1{,}22{,}074}{30} \times 300$$

= रू० 12,20,740/– (बारह लाख बीस हजार सात सौ चालीस) रुपये।

300 Day 9

3. अतएव, श्री गुप्ता को अनुमान्य राशि एवं पूर्व में स्वीकृत एवं भुगतान की गयी राशि की अन्तर राशि रू० 12,20,740 – 11,75,180 = रू० 45,560/– (पैंतालीस हजार पॉच सौ साठ) रुपये मात्र की भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

4. उक्त राशि की निकासी व्यय शीर्ष 2071–पेन्शन और सेवानिवृत्त लाभ–01–असैनिक 115–छुट्टी नगदीकरण सहित लाभ मांग संख्या–15 उपशीर्ष–0002, दिनांक–15.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त मृत कर्मचारी/पदाधिकारी को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि विपत्र कोड संख्या–15–2071011150002 से की जायेगी।

5. उक्त राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से की जायेगी तथा इसका भुगतान श्री शम्भूनाथ प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को एकमुश्त किया जायेगा।

6. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2561(वि०)2, दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–6(5) के प्रावधानों के अनुसार इसके लिए अलग से आवंटन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

7. राशि की गणना में यदि कम या अधिक का भुगतान हो जाता है, तो इसका समायोजन विधिसम्मत् कर लिया जाएगा।

ह०/–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक– 5/आर०एल०–40–141/2022 श्र०सं०– पटना दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक– 5/आर०एल०–40–141/2022 श्र०सं०– 7339 पटना दिनांक– 22/12/2025

प्रतिलिपि :– श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं श्री शम्भूनाथ प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, पत्राचार का पता–मोहल्ला–पश्चिमी भगवान बाजार, पोस्ट–भगवान बाजार, छपरा, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

श्रमायुक्त, बिहार